

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228758
SG-DL-E-05082021-228758

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 114
No. 216]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SRAVANA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 114

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

फा०सं० 1(468)/99/जीए/स्था०/डीसी/पार्ट फाइल/1600.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अगस्त, 1996 की अधिसूचना सं. ओ. 572 (ई) के साथ पठित अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 83 उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी विवाद के निर्धारण, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामले, किरायेदार की बेदखली या निर्धारण अधिकार तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी संपत्ति के पट्टेदार तथा पट्टेदारी की बाध्यताओं के लिये इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित व्यवहियों सहित दिल्ली वक्फ अधिकरण का गठन करते हैं, अर्थात्:—

- | | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 1. श्री. आर एल मीणा, एडीजे-02 | — | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमति. शाशि कौशल, दानिक्स | — | सदस्य |
| 3. डॉ. सलमान असद | — | सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनिल सिरोही, उप सचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th August, 2021

F.1(468)/99/GA/Estt./DC/Pt.file/1600.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (4) of section 83 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' notification number S.O. 572 (E) dated the 19th August 1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to re-constitute the Delhi Waqf Tribunal for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, question or other matter relating to a Waqf or Waqf property, eviction of a tenant or determination or rights and obligations of the lesser and the lessee of such property under the said Act, consisting of the following persons with effect from the date of notification, namely:-

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 1. Sh. R L Meena, ADJ-02 | - | Chairman |
| 2. Smt. Shashi Kaushal, DANICS | - | Member |
| 3. Dr. Salman Asad | - | Member |

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
ANIL SIROHI, Dy. Secy. (Revenue)